



कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय/ **REGIONAL OFFICE,**

पंचदीप भवन, सर्वोदय नगर,

कानपुर-208005

PANCHDEEP BHAWAN, SARVODAYA NAGAR, KANPUR-208005

Phone: 0512-2217957

Email: rd-up@esic.nic.in

पत्र सं. 21-A-33/17(5)/2/16-estt.

दिनांक:01-01-2025

कार्यालय आदेश संख्या 02 वर्ष 2025

सक्षम अधिकारी ने दिनांक- 20.12.2024 को आयोजित हुई विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर निम्नलिखित कर्मियों की एम.टी.एस. से अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियमित पदोन्नति के आदेश दिए हैं। वेतनमान 7th CPC Pre Revised {पी.बी.-1 (रु. 5200 -20200) + ग्रेड पे रु. 1900/-} में नियमानुसार देय होगा।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम (सर्व श्री/श्रीमती), पद व कर्मचारी संख्या	श्रेणी/उप श्रेणी	पदोन्नति की श्रेणी/उप श्रेणी	वर्तमान तैनाती स्थान	आदेशित नियमित पद व तैनाती स्थान
1	राकेश कुमार, एम.टी.एस. (173566)	OBC	UR	स्थापना शाखा-1, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर	अवर श्रेणी लिपिक, स्थापना शाखा-1, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर
2	अवनीत कुमार, एम.टी.एस. (173515)	OBC	UR	उप क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	अवर श्रेणी लिपिक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
3	रोहित कुमार, एम.टी.एस. (173452)	OBC	UR	उप क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा	अवर श्रेणी लिपिक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
4	राज किशोर शाह, एम.टी.एस. (173451)	OBC	UR	वित्त एवं लेखा शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर	अवर श्रेणी लिपिक, विधि शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर
5	हनुमंत लाल पासी, एम.टी.एस. (173416)	SC	UR	सतर्कता शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर	अवर श्रेणी लिपिक, रोकड़ शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर
6	रेखा देवी, एम.टी.एस. (187695)	ST	UR	प्राप्ति एवं प्रेषण शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर	अवर श्रेणी लिपिक, प्राप्ति एवं प्रेषण शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर

उपरोक्त कर्मचारियों की नियमित पदोन्नति कर्मचारी द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

उक्त कर्मचारियों की नियमित पदोन्नति अस्थायी आधार पर की गई है तथा ऐसी सेवा शर्तों के अधीन है, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी वृद्ध एवं सेवा शर्त विनियम 2023), जो समय समय पर संशोधित किया जाता रहा है, में उल्लिखित हैं। उपरोक्त क्रमांक संख्या (4) एवं (5) के कर्मचारी को छोड़कर, अन्य कर्मचारियों की तैनाती फिलहाल उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर की गई है, स्थानांतरण आदेश देय अनुक्रम में भविष्य में अलग से जारी किये जाएंगे।

पदोन्नत कर्मचारियों का वेतन नियतन नियमानुसार FR22(I)a(1) के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। पदोन्नत कर्मचारियों को

इस आदेश के जारी होने को त्तिथ से 01 माह के अदर FR22(l)a(1) के अतगत वेतन नियतन हेतु विकल्प देना होगा । विलब से प्राप्त होने वाले विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा ।

पदधारी द्वारा उन्हें प्रस्तावित पदोन्नति हेतु अपनी स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में संबंधित कर्मचारी द्वारा घोषणा दिनांक 10.01.2025 तक सूचित कर दिया जाना चाहिए । किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होने पर यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने पदोन्नति को स्वीकार नहीं किया है तथा भविष्य में इस संबंध में किसी भी पत्र-व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा ।

यह पदोन्नति आदेश निम्नलिखित रिट पिटीशन के अंतिम निर्णय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जा सकने वाले अन्य आदेशों के अधीन है ।

Sr. No.	Particulars	Versus
1.	WP No. 2853/2015 filed by ESIC in High Court of Delhi against order dated 05.09.2014 of CAT New Delhi in OA-1427/2012	ESIC v/s Saurabh Kumar
2.	WP No. 2725/2016 against order dated 25.09.2014 of CAT PB New Delhi in OA No. 1777/13	ESIC and Ors. v/s Sh. Somdutt Sharma Dadhich & Ors.
3.	WP (C) 10503/2017 and CM No. 42983/2017 (appeal against order dated 08.09.2014 of Hon'ble CAT PB New Delhi in OA No. 157/2013	ESIC & Ors. v/s Sh. Devender & Ors.

आवश्यक कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट यथाशीघ्र स्थापना शाखा-I एवं स्थापना शाखा-II, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर को भेज दी जाए ।

(अनुराग कुमार)

उप निदेशक (स्थापना शाखा-I)

प्रतिलिपि:

- संबंधित कर्मचारी (नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से) ।
- महानिदेशक (स्थापना -2), मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई-दिल्ली को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- क्षेत्रीय निदेशक महोदय के निजी सचिव अनुभाग को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- संयुक्त निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ/नोएडा को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- शाखाधिकारी, रोकड़/वित्त एवं लेखा/सतर्कता/आई.टी./स्थापना-II/प्राप्ति एवं प्रेषण/विधि शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- शाखाधिकारी, राजभाषा शाखा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का अंग्रेजी में अनुवाद करें ।
- शाखाधिकारी, आई.टी. शाखा को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस कार्यालय आदेश को क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर की वेबसाइट पर अपलोड करायें ।
- व्यक्तिगत पत्रावली/सहायक वेतन नियतन/वरिष्ठता/रोस्टर ।
- कार्यालय आदेश पुस्तिका ।
- सहायक, ई-ऑफिस/ऑनलाइन स्थानांतरण ।